भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2171

जिसका उत्तर गुरुवार, 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में लीगल साइज़ के कागज़ के उपयोग को बंद किया जाना

2171. श्रीमती विजिला सत्यानंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर की अदालतों में कानूनी प्रलेखन के लिए लीगल साइज़ के कागज़ के उपयोग को बंद करने के मुद्दे पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या लीगल साइज़ के कागज़ का उपयोग वादियों पर और अधिक बोझ भी डालता है ;

(ग) क्या कई विकसित देश लीगल साइज़ के कागज़ का उपयोग नहीं करते हैं और उसके अधिक आधुनिक प्रतिरूप के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, नही। भारत का उच्चतम न्यायालय, न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के, साधारणतया, विनियमन के लिए नियम बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन सशक्त है। उसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररुप बनाने, निकालने, और विहित करने के लिए न्यायालयों को

सशक्त करता हैं। हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) और उच्चतम न्यायालय एडवोकेट आन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीओआरए) के सदस्यों के साथ हुई भारत के उच्चतम न्यायालय में कागजों के प्रयोग के सुव्यवस्थितकरण हेतु समिति की बैठक में ए4 कागज पर दोनों तरफ मुद्रण का प्रयोग करके फाइल करने और कागजरहित न्यायालयों की पुरःस्थापना के लिए संकल्प लिया था । विनिश्चय को पर्यावरण हित के लिए किया गया था जिससे कागज की न्यूनतम खपत हो। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं, शपथपत्रों और आवेदनों तथा अपील के सभी ज्ञापनों में अंतर्विष्ट सभी कार्यवाहियों के लिए ए4 आकार के सफेद एक्जीक्यूटिव बांड कागज के प्रयोग के लिए 18 फरवरी 2020 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की थी ।

(ख) : जी, हां। पर्यावरण हित की दृष्टि से विचार करते हुए न्यायालय दोनो तरफ मुद्रित ए4 आकार के कागज के प्रयोग का संकल्प ले रहे हैं, जिससे कागज कि खपत को कम किया जा सके, यह कागज के प्रयोग पर लागत को कम करके वादकारियों के लिए आर्थिक रूप से बाध्यकारी हैं।

(ग) और (घ) : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलबध नहीं हैं।

****